

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, आविर्गत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नकशे को विपरीत निर्माण पाये जाने पर त्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी केवल आवासीय क्षयीजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 872 दिनांक 29/11/2024

श्रीमती सुकमी नारयण 316 (ती) अंकरवाला

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानयित्र कार्यालय में पंश

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 9150/- पंश

जरिये रसीद संख्या 3069/884/885

दिनांक 27/11/2024 को जमा करा दी है ।

P-20-161 बलदेव नगर भसुरिया

29/11/2024

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जीम
आवासीय

अनुमति